KAR_25_AUG_2022.qxd 26-08-2022 17:26 Page 1

साप्ताहिक
Live not just breaTHE

दि कार्मिक पोस्ट

MPHIN/2015/63220
MP/IDC1528/16-18

Global School Of Excellence, Obedullaganj

वर्ष : 8, अंक : 1 (प्रति बुधवार), इन्दौर, 24 अगस्त 2022 से 30 अगस्त 2022 पेज : 8 कीमत : 3 रुपये

कई देशों में नदियां सूखी, भूमिगत जलस्तर भी खत्म

वॉशिंगटन। यूरोप और अमेरिका के बड़े हिस्से में इस बार 500 साल का सबसे भीषण सूखा पड़ा है। इसके चलते जहां नदियां सूख गई हैं वहीं पीने के पानी का भी भारी संकट पैदा हो गया है। यूरोप के जर्मनी, फ्रांस, स्वीडन, स्पेन में नदियों में अब पानी नहीं बह रहा है। दूसरी ओर बांधों में जलस्तर कम होने से बिजली का संकट भी खड़ा हो गया है। अमेरिका के कई राज्यों में पानी की आपूर्ति में भारी कटौती की गई है। वहीं चीन का एक भाग सूखे से चौथे साल भी प्रभावित हो रहा है। कई जगहों पर हालात इतने बदतर हो गए हैं कि नदियों में दूसरे विश्व युद्ध के अवशेष भी नजर आ रहे हैं।

पूरे यूरोप में हर तरफ सूखा ही सूखा दिखाई दे रहा है। यूरोप में तेजी से बहने वाली नदियां राइन, लायन, डेनयूब अब ठहर गई हैं। इनका जलस्तर औसत से भी काफी नीचे चला गया है। जलवायु परिवर्तन की मार का सबसे ज्यादा असर इस बार विकसित देशों में दिखाई दे रहा है, तो दूसरी ओर एशिया के देशों में कई जगह बाढ़ के हालात पैदा हो रहे हैं। यूरोप में 500 साल में इतना भीषण सूखा नहीं पड़ा है। इंग्लैंड से लेकर फ्रांस तक इससे प्रभावित हो गए हैं। पूरे यूरोप महाद्वीप में अलर्ट मोड जारी करते हुए केवल पीने के पीनी की ही व्यवस्था की जा रही है। उत्पादन और फसलों की पैदावार पर रोक लगा दी गई है। 20 फीसदी क्षेत्रों में पानी पूरी तरह खत्म हो चुका है। दूसरी ओर सभी राज्य गर्मी की चपेट में तप रहे हैं, तो वहीं बिजली की भारी कमी से लोग त्रस्त

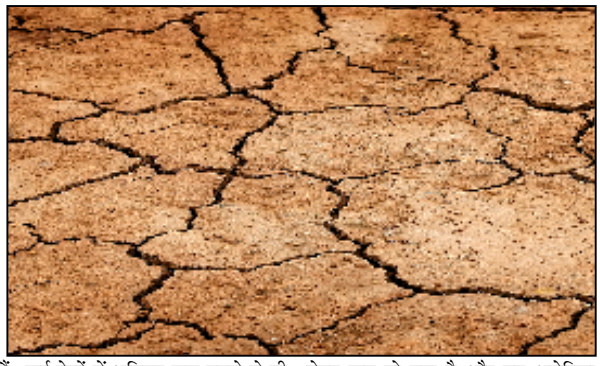

हैं। कई देशों में भूमिगत जल पहले से ही समाप्त हो चुका है। इन देशों में हालात और बदतर हो गए हैं। वहीं अमेरिका के मैक्सिको में पानी की भारी कटौती की गई है। यहां पोलोराडो नदी में पानी का बहाव बेहद कम हो गया है और यह अमेरिका की जीवनरेखा नदी कहलाती है। माना जा रहा है सूखे के कारण इन राज्यों में अनाज का भी भारी संकट आने वाले समय में पैदा हो जाएगा।

सर्दियों में वायु प्रदूषण से मुकाबले के लिए सितंबर में 15 सूत्री कार्ययोजना जारी करेगी दिल्ली सरकार

नयी दिल्ली दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा कि दिल्ली सरकार सर्दियों में वायु प्रदूषण से निपटने के लिए सितंबर में 15 सूत्री कार्ययोजना जारी करेगी।

इस योजना में पराली प्रबंधन, धूल प्रदूषण, वाहनों से उत्सर्जन, खुले में कचरा जलाने, औद्योगिक प्रदूषण, हरित वार रूम, स्मॉग टॉवर, ई-कचरा पार्क, पौधरोपण, जन भागीदारी, आतिशबाजी जैसे विषयों और पड़ोसी राज्यों के साथ संयुक्त कार्रवाई पर ध्यान दिया जाएगा।

राय पांच सितंबर को एक बैठक में संबंधित 33 विभागों के साथ सभी कार्य बिंदुओं पर विस्तार से विचार-विमर्श करेंगे। उनके सुझावों और सिफारिशों को शीतकालीन कार्य योजना में शामिल किया जाएगा। राय ने कहा कि दिल्ली में 39 प्रतिशत वायु प्रदूषण स्थानीय कारकों से होता है और बाकी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में आसपास के इलाकों से होता है।

मांडू बेस्ट हेरिटेज डेस्टिनेशन अवार्ड से सम्मानित

भोपाल मध्यप्रदेश के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल मांडू को बेस्ट हेरिटेज डेस्टिनेशन के लिए आउटलुक ट्रैवलर जूरी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। द लीला पैलेस, नई दिल्ली में 19वें वार्षिक आउटलुक ट्रैवलर अवार्ड्स में पर्यटन निगम के प्रबंध संचालक श्री एस. विश्वनाथन ने पुरस्कार ग्रहण किया। श्री विश्वनाथन ने इस उपलब्धि पर हर्ष व्यक्त करते हुए कहा कि मध्यप्रदेश के हेरिटेज डेस्टिनेशन को यह अवार्ड मिलना अत्यंत ही गौरव का विषय है। केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री श्री जी. किशन रेड्डी और उत्तराखंड के पर्यटन मंत्री श्री सतपाल महाराज तथा विभिन्न राज्यों के वरिष्ठ की उपस्थिति में आउटलुक ट्रैवलर अवार्ड्स दिया गया। इस वर्ष पुरस्कार का निर्णय एक शोध एजेंसी द्वारा यात्रा सर्वेक्षण तथा जूरी सदस्यों द्वारा प्रतिक्रियाओं की जाँच के आधार पर किया गया।

KAR_25_AUG_2022.qxd 26-08-2022 17:26 Page 2

MP के इस शहर में शुरू हुई Tree एंबुलेंस, कुछ इस तरह करेगी पेड़-पौधों का इलाज...

इंदौर मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर वैसे तो स्वच्छता के मामले में नंबर वन शहर माना जाता है। यही कारण है कि, स्वच्छता सर्वेक्षण में लगातार पांच बार इंदौर ने नंबर वन का खिताब हासिल किया है। इतना ही नहीं प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर अब स्वच्छता का छक्का यानी छठी बार स्वच्छता में नंबर वन आने की तैयारियों में जुटा हुआ नजर आ रहा है। इस बीच इंदौर शहर पर्यावरण संरक्षण और एयर क्वालिटी को सुधारने के लिए भी लगातार प्रयास कर रहा है। इन्हीं प्रयासों में एक प्रयास पेड़ पौधों का संरक्षण भी शामिल है, जिसे लेकर इंदौर नगर निगम ने नई पहल करते हुए ट्री एंबुलेंस की शुरुआत की है।

आपने सामान्य तौर पर किसी एंबुलेंस को काम करते हुए देखा होगा, जहां एंबुलेंस का काम किसी मरीज को अस्पताल पहुंचाना, या फिर मौके पर इलाज की सुविधा प्रदान करना है। वहीं इंदौर नगर निगम के उद्यान विभाग की ओर से शुरू की गई एंबुलेंस की सेवा भी इसी तरह का काम करेगी, जहां पेड़ पौधों के नष्ट होने की शिकायत मिलने पर एंबुलेंस पहुंचेगी और उद्यानिकी विशेषज्ञ डॉक्टरों के साथ पेड़ पौधों का इलाज करेगी। नगर निगम के उद्यान विभाग की ओर से शुरू की जा रही ट्री एंबुलेंस पर यदि एक नजर डालें तो यह ट्री एंबुलेंस सर्व सुविधा युक्त होगी, जहां इस एंबुलेंस में उद्यानिकी विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम तैनात रहेगी। साथ ही इसमें उद्यानिकी सहायक भी मौजूद रहेंगे। एंबुलेंस में पेड़ पौधों की जानकारी रखने वाले विशेषज्ञ सेवाएं देते नजर आएंगे। साथ ही एंबुलेंस में पेड़ पौधों के इलाज के लिए लगने वाली दवाईयां और कीटनाशक समेत तमाम तरह के संसाधन मौजूद रहेंगे।

बेनामी स्टोन क्रशर्स खोद रहे खनिज के पहाड़, एनजीटी ने कहा ईडी कर सकती है जांच

झारखंड झारखंड के साहेबगंज जिले में विंध्य पर्वत की राजमहल पहाड़ी पर पर्यावरण नियमों को ताख पर रखते हुए अंधाधुंध तरीके से स्टोन क्रशर मशीनें खनन और पत्थरों को तोड़ने का काम कर रही हैं। आश्चर्यजनक यह है कि अवैध काम में लिप्त स्टोन क्रशर्स का मालिक ही कोई नहीं है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने इस मामले पर विस्तृत रिपोर्ट का संज्ञान लेते हुए अपने ताजा आदेश में कहा है कि ÷इस गंभीर मामले को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) भी देख सकती है।

प्रचुर खनिज वाले इस क्षेत्र में लगातार अवैध खनन और स्टोन क्रशर पर्यावरणीय नियमों के विरुद्ध काम कर रहे हैं। एनजीटी ने बीते पांच वर्षों में कई बार स्टोन क्रशर्स यूनिट को आदेश दिया लेकिन सर्वे रिपोर्ट्स में यह बात साफ होती रही कि राजमहल पहाड़ी पर बेनामी यूनिटें काम कर रही हैं। 24 अगस्त, 2022 को एनजीटी ने फील्ड रिपोर्ट्स और प्राधिकरणों की जांच रिपोर्ट्स के आधार अपने आदेश में कहा ÷अंधाधुंध और गैरविनियमित खनन व स्टोन क्रशर गतिविधियों के कारण बहुत बड़ी मात्रा में प्रदूषण जारी है, जिस पर आंखे मूंदी हुई हैं। आवश्यता है कि गंभीर और संयमित प्राधिकरण इसकी जांच करे कि किस तरह से वायु प्रदूषण 1981 कानून और पर्यावरण संरक्षण कानून, 1986 के प्रावधानों व जारी कानूनों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। कानून के विरुद्ध हो रहे इस उल्लंघन में लोगों का स्वास्थ्य और पर्यावरण दोनों प्रभावित हो रहे हैं। एनजीटी ने कहा कि राज्य स्तरीय पर्यावरण आकलन प्राधिकरण (एसईआईएए) ने पर्यावरण मंजूरी जारी करते हुए यह नहीं जांचा कि इन स्टोन क्रशर्स से कितना पर्यावरण प्रदूषित होगा। स्थानीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को कंसेंट टू ऑपरेट जैसी मंजूरी जारी करते हुए इसे गंभीरता से देखना चाहिए था। जस्टिस आदर्श कुमार गोयल की अध्यक्षता वाली पीठ ने मामले में कहा ÷ सीपीसीबी और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की रिपोर्ट से यह स्पष्ट है कि न सिर्फ भयावह वायु प्रदूषण हो रहा है बल्कि स्टोन क्रशर्स के कारण बड़ी मात्रा में धूल भी उड़ रही है। न ही कोई सेफगार्ड है और न ही किसी तरह का डिस्पले बोर्ड लगाया गया है। ज्यादातर स्टोन क्रशर्स के पास कानूनी दस्तावेज नहीं है। यह आश्चर्यजनक है कि समिति ने कहा है कि इन बेनामी स्टोन क्रशर्स के लिए किसी को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सका है। पीठ ने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि इतने बड़े पर्यावरण उल्लंघन मामले में ऑनलाइन माध्यम में भी झारखंड सरकार और प्राधिकरण की तरफ से कोई भी यहां हाजिर नहीं है। पीठ ने झारखंड सरकार के मुख्य सचिव को आदेश दिया है कि वह एक समिति का गठन कर प्रदूषण के खिलाफ तत्काल कदम उठाएं। साथ ही उन अधिकारियों के खिलाफ क्रिमनल केस फाइल करें जो कि इस प्रदूषण के लिए जिम्मेदार हैं।

KAR_25_AUG_2022.qxd 26-08-2022 17:26 Page 3

जबलपुर में गोबर से सीएनजी उत्पादन संयंत्र के लिए कार्यवाही पूर्ण

गरीब परिवार की आर्थिक उन्नति के लिए पशुपालन को प्रोत्साहित करें - मुख्यमंत्री श्री चौहान

दुग्ध सहकारी समितियों के दो लाख से अधिक सदस्यों को मिले क्रेडिट कार्ड

भोपाल प्रदेश में दुग्ध सहकारी समिति के सदस्यों को 2 लाख 19 हजार 603 किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए गए हैं। प्रदेश में 716 दुग्ध सहकारी समितियाँ गठित की जा चुकी हैं। इनमें से 336 समितियों में स्व-चालित इकाइयों की स्थापना की जा चुकी है। नाना जी देशमुख पशुचिकित्सा विश्वविद्यालय के अंतर्गत जबलपुर और डॉ. अम्बेडकर नगर (महू) में डेयरी साइंस और फूड टेक्नॉलाजी पाठ्यक्रम की मंजूरी दी गई है। जबलपुर में गोबर से सीएनजी उत्पादन संयंत्र के लिए कार्यवाही पूर्ण कर ली गई है। यह जानकारी मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में पशुपालन एवं डेयरी विभाग की गतिविधियों की समीक्षा बैठक में दी गई। बैठक में मुख्य सचिव श्री इकबाल सिंह बैंस, अपर मुख्य सचिव श्री अजीत केसरी, श्री शैलेंद्र सिंह और अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा है कि गरीब परिवारों के आर्थिक उन्नति के लिए पशुपालन एवं डेयरी विभाग द्वारा बकरी पालन कार्य के लिए अधिक से अधिक सहयोग देने के प्रयास किए जाएँ। कम स्थान में कम लागत के साथ चारे की उपलब्धता के कारण बकरी पालन आर्थिक रूप से फायदेमंद है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि योजनाओं का क्रियान्वयन पारदर्शिता से किया जाए। पशुओं के रोगों के नियंत्रण के लिए विभाग का अमला सजग रहे। जानकारी दी गई कि प्रदेश में बकरी पालन के प्रोत्साहन के लिए हितग्राहियों को आवश्यक सहयोग दिया जा रहा है। उज्जैन, सिवनी, ग्वालियर और टीकमगढ़ में बकरी प्रक्षेत्र के संचालन में व्यवस्थाएँ बेहतर की गई हैं। इन प्रक्षेत्रों में कृत्रिम गर्भाधान और वत्सोत्पादन के कार्य में सफलता मिली है।

स्व-सहायता समूह की बहनें बना रहीं गोबर और गौ मूत्र के उत्पाद- मुख्यमंत्री गौ सेवा योजना में मनरेगा में 3 हजार 241 गौशालाएँ मंजूर की गई थीं। इनमें से 1033 गौ शालाएँ शुरू हो गई हैं। महिला स्व-सहायता समूह की बहनें 530 गौशालाओं का संचालन कर रही हैं। इन्हें गोबर एवं गौमूत्र के विभिन्न उत्पाद जैसे गोबर के गणेशजी, दिए, हवन के कंडे और विभिन्न प्रकार की जैविक खाद के साथ ही अन्य सामग्री तैयार करने का प्रशिक्षण दिया जा चुका है। गौ वंश के संरक्षण के साथ ही गौ शालाएँ आजीविका का साधन भी बन गई हैं।

जबलपुर में गोबर से सीएनजी उत्पादन संयत्र- बैठक में मुख्यमंत्री श्री चौहान ने आचार्य विद्यासागर गौ संवर्धन योजना के प्रभाव का विश्लेषण करने के लिए पूर्व में लिए गए निर्णय और की गई कार्यवाही की भी जानकारी प्राप्त की। जानकारी दी गई कि योजना का विभागीय अधिकारियों की समिति ने आकलन कर विश्लेषण प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है। गोबर से सीएनजी एवं जैविक खाद उत्पादन के लिए लगभग बीस करोड़ रुपए की लागत से पायलट आधार पर जबलपुर में संयंत्र प्रारंभ किया जा रहा है। इस कार्य में जबलपुर स्मार्ट सिटी मिशन का सहयोग प्राप्त किया जाएगा। आगर मालवा जिले के गौ अभयारण्य सालरिया में संचालन के लिए निजी क्षेत्र की प्रतिष्ठित संस्था को दायित्व सौंपा गया है। बैठक में प्रदेश में आचार्य विद्यासागर गौ संवर्धन योजना और कुक?कुट प्रदाय योजना, भोपाल के केंद्रीय वीर्य संस्थान में सीमन उत्पादन क्षमता बढ़ाने और सीमन बैक के सुदृढ़ीकरण, प्रयोगशाला भवन निर्माण, नाना जी देशमुख पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय में ज्ञान पोर्टल विकसित करने, पशुओं के लिए टीकाकरण की व्यवस्था कर उन्हें रोगों से बचाने पर भी चर्चा हुई। जानकारी दी गई कि वर्तमान वित्तीय वर्ष में मुख्यमंत्री पशुपालन विकास योजना में 14 हजार 157 हेक्टेयर में चारा उत्पादन कार्य के लिए कार्ययोजना मंजूर की गई है। इसका लाभ 55 हजार से अधिक हितग्राहियों को मिलेगा। इसी योजना में वित्त वर्ष 2022-23 और 2023-24 के लिए 60 करोड़ रुपए की राशि मंजूर की गई है। डिंडोरी में मुख्यमंत्री दुधारू गाय प्रदाय कार्यक्रम के लिए इस वर्ष 19 करोड़ 10 लाख रुपए राशि का अनुमोदन हुआ है। इसका लाभ 2 हजार से अधिक हितग्राहियों को मिलेगा।

और फल-फूल सकती है फूलों की खेती

फूलों और सजावटी पौधों की व्यावसायिक कृषि अथवा फूलों की खेती, जिसे सरकार द्वारा 'निर्यात-उन्मुख क्षेत्र' का दर्जा दिया गया है, सामान्य फसल वाली खेती की तुलना में कहीं ज्यादा आकर्षक है। फूलों की खेती से प्रति इकाई भूमि पर शुद्ध लाभ खेती वाली अधिकांश फसलों की तुलना में 10 से 20 गुना ज्यादा हो सकता है। लेकिन यह काफी ज्यादा निवेश और प्रौद्योगिकी-गहन गतिविधि होती है, जिसे यथासंभव ग्रीनहाउस में पर्यावरण संबंधी नियंत्रित परिस्थितियों में किया जाना चाहिए। कुछ फूल जैसे गेंदा, गुलाब, गुलदाउदी, गैलार्डिया, कुमुदिनी, लिली, ऐस्टर और रजनीगंधा की तो खुले खेतों में भी व्यावसायिक रूप से खेती की जा सकती है, लेकिन बेहतरीन उपज प्राप्त करने के वास्ते इसके लिए भी विशेष कौशल की जरूरत होती है।

इत्र, प्राकृतिक रंग, आयुर्वेदिक औषधि तथा गुलकंद और शरबत बनाने के लिए फूलों की खेती से संबंधित उत्पादों की औद्योगिक मांग में वृद्धि ने फूलों की खेती को और अधिक प्रोत्साहन प्रदान किया है। देश के फसल क्षेत्र के मूल्य में अब इस क्षेत्र का योगदान लगभग दो प्रतिशत है।

फूलों के व्यावसायिक उत्पादन तथा फूलों और इनके मूल्य संवर्धित उत्पादों के निर्यात क्षेत्र में तकरीबन नया होने के बावजूद भारत ने 2021-22 में लगभग 770 करोड़ रुपये की करीब 23,597 टन फूलों की खेती से संबंधित वस्तुओं का निर्यात किया है। इसके निर्यात गंतव्यों में अमेरिका, कनाडा, जर्मनी, ब्रिटेन, यूएई तथा सबसे महत्त्वपूर्ण नीदरलैंड, जो दुनिया का सबसे बड़ा फूल बाजार और अंतरराष्ट्रीय व्यापार का नीलामी केंद्र है, जैसे विकसित देश शामिल हैं। अनुमान जताया गया है कि भारत ने वर्ष 2020-21 में करीब 3,20,000 हेक्टेयर क्षेत्र से ही लगभग 30 लाख टन फूलों का उत्पादन किया है। उद्योग हलकों द्वारा वर्ष 2021 में लगभग 20,700 करोड़ रुपये आंका जाने वाला देश के फूल बाजार का आकार 13-14 प्रतिशत की जोरदार चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर के साथ अगले पांच साल में 42,500 करोड़ रुपये से ज्यादा होने का अनुमान है। विकसित होते इस क्षेत्र की उपज में विभिन्न प्रकार के उत्पाद शामिल हैं, जैसे फूल (माला और सजावट के लिए), तना युक्त फूल (कट फ्लॉवर - गुलदस्ते बनाने के लिए), गमले वाले पौधे, बेलबूटे, कलियां, कंद, जड़ युक्त और सूखे या निर्जलित फूल तथा सजावटी पत्तियां। खेती वाले फूलों का दायरा, जो शुरुआत में मुख्य रूप से गुलाब, गेंदा, ऐस्टर, ग्लेडियोलस, गुलदाउदी आदि तक ही सीमित था, इसके बाद से बढ़ चुका है, जिसमें गुलनार, जरबेरा, जिप्सोफिला, लिआट्रिस, नेरिन, आर्चिया, एन्थुरियम, ट्यूलिप, लिली तथा कई तरह के ऑर्किड शामिल हैं। महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल प्रमुख फूल उत्पादक राज्यों के रूप में उभरे हैं। जन्मदिन, शादी-विवाह और अन्य सालगिरहों तथा स्वागत और विदाई समारोहों के साथ-साथ जैसा कि अब तक वैलेंटाइन डे, मदर्स डे, फादर्स डे और इसी तरह के अन्य कार्यक्रमों सदृश्य गैर-पारंपरिक अवसरों पर भी फूलों के जरिये संदेश देने के बढ़ते चलन ने फूलों की घरेलू मांग को और बढ़ावा दिया है, खास तौर पर तना युक्त फूलों की मांग को। महानगर और बड़े शहर फूलों की खपत वाले प्रमुख केंद्र बन गए हैं। हालांकि सामाजिक और धार्मिक अवसरों पर माला बनाने और सजावट के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले फूलों की मांग अब भी घरेलू बाजार पर हावी है, जिसका फूलों की कुल बिक्री में लगभग 60 प्रतिशत योगदान रहता है। वास्तव में वर्ष 1988 में नई बीज नीति की घोषणा वैज्ञानिक तर्ज पर फूलों की व्यावसायिक खेती के संबंध में महत्त्वपूर्ण मोड़ थी, जिसमें वैश्विक गुणवत्ता मानकों के अनुरूप फूलों के लिए कृषि सामग्री के आयात की अनुमति प्रदान की गई थी। 1990 के दशक की शुरुआत में अर्थव्यवस्था के उदारीकरण ने फूलों और उनके मूल्य संवर्धित उत्पादों के लिए अति आवश्यक निर्यात सुविधा प्रदान की थी, जिससे फूलों की खेती के लिए निर्यात-उन्मुख उच्च प्रौद्योगिकी वाली इकाइयों की स्थापना में निवेश का मार्ग प्रशस्त हुआ। इन कदमों से फूलों की फसलों की उत्पादकता और किसानों की आय में सुधार में भी मदद मिली। मधुमक्खी पालन के साथ फूलों की खेती का एकीकरण फूलों की खेती वाली इकाइयों के लाभ में और सुधार लाने में मदद कर सकता है। दिलचस्प बात यह है कि फूलों के प्रजनन में व्यवस्थित रूप से अनुसंधान और विकास मुख्य अनाज में सुधार के मुकाबले काफी पहले शुरू हो गया था, जिससे हरित क्रांति हुई। गेहूं और चावल की अधिक उपज देने वाली किस्मों के विकास, जिसने खाद्यान्न उत्पादन में सफलता प्रदान की, से पहले अनोखे रंग, आकार या पंखुड़ियों की आकृति और गोचर अन्य सौंदर्य गुण वाले फूलों की किस्मों का उत्पादन किया गया था। सबसे पहले गुलाब ने फूलों के प्रजनकों का ध्यान आकर्षित किया। दरअसल गुलाब की किस्मों का विस्तृत दायरा उपलब्ध होने से देश के विभिन्न हिस्सों में गुलाब के बगीचों की स्थापना को प्रेरणा मिली। आगे चलकर फूल-विशिष्ट कई अन्य उद्यान बहुत-से स्थानों पर स्थापित हुए। जम्मू कश्मीर में श्रीनगर के पास विस्तृत क्षेत्र में फैला ट्यूलिप उद्यान इनमें सबसे खास है, जो पर्यटन का प्रमुख आकर्षण बन चुका है। वनस्पति उद्यानों ने भी फूलों की नई किस्मों के प्रजनन और संरक्षण में योगदान दिया है। हालांकि इस विकास के बावजूद देश में फूलों की खेती की क्षमता अब भी काफी कम है। कई स्वदेशी फूल, जो अपनी खासियत की वजह से विदेशों में अच्छा बाजार बना सकते हैं, वे अनजाने और कम प्रचारित रहते हैं। इसकी एक मिसाल ऑर्किड हो सकता है। भारत भाग्यशाली है कि उसके पास पूर्वोत्तर क्षेत्र तथा पश्चिमी और पूर्वी घाटों में विश्व के सबसे समृद्ध स्थल हैं। वे इन विशिष्ट फूलों की 1,000 से अधिक प्रजातियों को आश्रय प्रदान करते हैं। हालांकि ऑर्किड के निर्यात में कुछ उन्नति हुई है, खास तौर पर सिक्किम से, लेकिन ऑर्किड के अन्य प्रमुख स्थलों की निर्यात क्षमता का दोहन नहीं हुआ है।

KAR_25_AUG_2022.qxd 26-08-2022 17:26 Page 4

अष्टमुडी-वंबनाड वेटलैंड में प्रदूषण रोकने के लिए अधिकारियों ने नहीं की जरुरी कार्रवाई

मुंबई। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने अपने 23 अगस्त, 2022 को दिए आदेश में कहा है कि अष्टमुडी और वंबनाड-कोल वेटलैंड में प्रदूषण को रोकने के लिए अधिकारियों ने जो कार्रवाई की है वो पर्याप्त नहीं है। वहां बढ़ता प्रदूषण जल अधिनियम 1974 के साथ-साथ वेटलैंड (संरक्षण और प्रबंधन) नियम, 2017 का भी गंभीर रूप से उल्लंघन है।

ऐसे में कोर्ट ने अतिरिक्त मुख्य सचिव, पर्यावरण की अध्यक्षता में एक निगरानी समिति के गठन का निर्देश दिया है। जिसमें अन्य सदस्य निदेशक पर्यटन, निदेशक स्थानीय निकाय, निदेशक उद्योग, निदेशक पंचायत, केरल तटीय क्षेत्र प्रबंधन प्राधिकरण, केरल राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और स्टेट वेटलैंड ऑथॉरिटी के अधिकारी शामिल होंगे। कोर्ट का कहना है कि इसके लिए एक बहाली योजना तैयार की जानी चाहिए। जो बहाली पर आने वाली लागत के साथ अपनाए जाने वाले उपायों और उसका किस तरह उनका पालन किया जाएगा उसपर भी ध्यान रखेगी। एनजीटी के जस्टिस आदर्श कुमार गोयल और जस्टिस सुधीर अग्रवाल की बेंच ने अपने आदेश में कहा है कि निगरानी हर 14 दिन में एक बार की जानी चाहिए। गौरतलब है कि आवेदन कर्ता कृष्णा दास के वी ने इस मामले में आवेदन दायर किया था। जिसमें उन्होंने केरल के कोल्लम में एक रामसर साइट, अष्टमुडी और वंबनाड-कोल वेटलैंड को बचाने में अधिकारियों द्वारा की गई कार्रवाई की विफलता के बारे में 24 फरवरी, 2022 को कोर्ट को अवगत कराया था। आवेदक का कहना है कि फार्मास्युटिकल कचरे के साथ-साथ प्लास्टिक, घरेलू कचरे, बूचड़खानों से निकलते कचरे और कई अन्य स्रोतों से होती डंपिंग के कारण यह वेटलैंड कोल्लम शहर का प्रदूषित नाला बन गया है। इस मामले में केरल राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने 17 अगस्त, 2022 को दायर अपनी रिपोर्ट में भी स्वीकार किया है कि दूषित सीवेज और अन्य कचरे के डाले जाने से झीलों में भारी प्रदूषण हो रहा है। रिपोर्ट में यह भी जानकारी दी गई है कि नावों को तोड़ने के कारण पैदा हो रहा कचरा भी इस वेटलैंड को दूषित कर रहा है। इसके कारण पैदा हुए ठोस कचरे को किनारों पर जलाया जा रहा है झील में बढ़ते प्रदूषण के साथ-साथ मैंग्रोव को भी नुकसान पहुंचा रहा है। यह भी पता चला है की जलीय कृषि और फिश प्रोसेसिंग इकाइयां भी प्रदूषण फैला रही हैं।

वन भूमि उपयोग में बदलाव के मामले में एनजीटी ने पर्यावरण मंत्रालय से मांगा जवाब- एनजीटी की पश्चिमी क्षेत्र खंडपीठ ने केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय (एमओईएफसीसी) को एक हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है, जिसमें उसे स्पष्ट रूप बताना है कि क्या बांस प्रसंस्करण के लिए रासायनिक उपचार संयंत्र संबंधी गतिविधियां गैर-वानिकी गतिविधियों में आएगी या नहीं और यदि हां वो आती हैं तो इस बात का भी स्पष्ट उल्लेख करना है कि क्या इस काम के लिए वन भूमि उपयोग में बदलाव के लिए अनुमति की जरुरत है या नहीं। यह मामला महाराष्ट्र बांस विकास बोर्ड से संबंधित है, जो नागपुर के गोरेवाड़ा रिजर्व फॉरेस्ट में बांस प्रसंस्करण के लिए एक रासायनिक उपचार संयंत्र का संचालन कर रहा है। इस मामले में मंत्रालय ने अपने जवाबी हलफनामे में कहा है कि वन भूमि पर किसी भी गैर-वानिकी गतिविधि को चलाने के लिए वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा 2 के तहत केंद्र सरकार की मंजूरी आवश्यक है। साथ ही इस क्षेत्र में वन भूमि के डायवर्जन के लिए महाराष्ट्र बांस विकास बोर्ड की ओर से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

रिदम कंट्री ने पर्यावरण मानदंडों का किया उल्लंघन, करना होगा मुआवजे का भुगतानः एनजीटी- एनजीटी ने मैसर्स रिदम

कंट्री को पांच करोड़ रुपये के मुआवजे का भुगतान करने का आदेश दिया है। उसे यह राशि अगले दो महीनों के भीतर महाराष्ट्र राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पास जमा करानी होगी। कोर्ट के अनुसार इस धनराशि का उपयोग जिला पर्यावरण योजना के मद्देनजर पर्यावरण की बहाली के लिए किया जाएगा। गौरतलब है कि यह आदेश मैसर्स रिदम कंट्री द्वारा पर्यावरण नियमों के उल्लंघन के जवाब में था। जानकारी मिली है कि रिदम कंट्री ने पुणे के औटाडे हंदवाड़ी में एक निर्माण परियोजना के दौरान इन नियमों का उल्लंघन किया था। पता चला है कि यह निर्माण आवश्यक पर्यावरण मंजूरी (ईसी) और वायु अधिनियम, 1981 और जल अधिनियम 1974 के तहत आवश्यक सहमति के बिना ही शुरू किया गया था। इस मामले में महाराष्ट्र राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (एसपीसीबी) ने 3 जनवरी, 2020 को एक कारण बताओ नोटिस भी जारी किया था। इसके बाद 6 जुलाई 2020 को भी एक आदेश दिया गया था। लेकिन एसपीसीबी के आदेश के बावजूद रिदम कंट्री ने परियोजना के निर्माण का काम नहीं रोका और उसे पूरा कर लिया।

खाम नदी में बढ़ते प्रदूषण के मामले में एनजीटी ने औरंगाबाद जिला कलेक्टर से मांगी रिपोर्ट- नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी), 23 अगस्त, 2022 को दिए अपने आदेश में औरंगाबाद के जिला कलेक्टर को खाम नदी में बढ़ते प्रदूषण के मामले में अपनी रिपोर्ट सबमिट करने का निर्देश दिया है। इस मामले में इंडियन एक्सप्रेस में एक खबर प्रकाशित हुई थी जिसमें कहा गया था कि खाम नदी में दूषित सीवेज छोड़ा जा रहा है। इसी के मद्देनजर एनजीटी की वेस्टन बेंच के समक्ष एक आवेदन दायर किया गया था।

इस मामले में औरंगाबाद नगर निगम ने अपने हलफनामे में कहा है कि नगर निगम 96 एमएलडी के वर्तमान सीवेज उत्पादन के मुकाबले 211 एमएलडी क्षमता के 4 सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी) को संचालित कर रही है। इन संयंत्रों को 2030 तक भविष्य की बढ़ती आबादी को ध्यान में रखकर डिजाईन किया गया है। वहीं अब तक कुल 186 भूमिगत जल निकासी लाइनों का काम पूरी हो चुका है।

उत्तर भारत 2022 की गर्मियों में देश का सबसे प्रदूषित क्षेत्र रहा : सीएसई

नयी दिल्ली सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट (सीएसई) ने अपने नये विश्लेषण में कहा है कि 2022 की गर्मियों में उत्तर भारत देश का सबसे प्रदूषित क्षेत्र रहा और उसमें दिल्ली-एनसीआर का क्षेत्र प्रमुख रहा।

पर्यावरण से जुड़े थिंक टैंक ने कहा कि गर्मियों में उत्तर भारत में प्रदूषकारी तत्व पीएम2.5 की मात्रा 71 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर दर्ज की गई। सीएसई ने कहा कि पूर्वी भारत में यह 69 माइक्रोग्राम, पश्चिमी भारत में 54 माइक्रोग्राम और मध्य भारत में 46 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर रहा। उसने बताया कि पूर्वोत्तर भारत में यह 35 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर और दक्षिण भारत में यह 31 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर दर्ज किया गया। उत्तर भारत में दिल्ली-एनसीआर सबसे ज्यादा प्रदूषित रहा। इस दौरान भिवाड़ी में पीएम2.5 की मात्रा सबसे ज्यादा 134 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर रही। मानेसर में पीएम2.5 की मात्रा 119 माइक्रोग्राम, गाजियाबाद में 101 माइक्रोग्राम, दिल्ली में 97 माइक्रोग्राम, गुरुग्राम में 94 माइक्रोग्राम और नोएडा में 80 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर दर्ज की गई।

स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक सोनल मेहता केलिए प्रतीक्षा ग्राफिक्स, 127 देवी अहिल्या मार्ग, इंदौर (म.प्र.) से मुद्रित एवं 209-बी शहनाई रेसीडेंसी-2 कनाड़िया रोड इंदौर (म.प्र.) से प्रकाशित। संपादक: डॉ. सोनल मेहता फोन : 0731-2595008 Mail.sonal12mehta@yahoo.co.in 9755040008